कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

प्रभारी मीडिया,

इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार तीन समाचार पत्र दैनिक पंजाब केसरी ,दैनिक जनवाणी एवं दैनिक शाह टाइम्स समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नही होगा।

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग
रि–टैण्डर

दिनांक : 04/09/20

पत्रांक: 1314 /सम्प0अनु0

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर वित्तीय वर्ष 2020–21 के 03 ठेके क्रमशः ठेका भू–उपयोग अम्बाला रोड, ठेका पार्किंग जनरल पोस्ट ऑफिस रोड व ठेका पार्किंग टैक्सी स्टैण्ड वाली भूमि के लिये नगर निगम कार्यालय में खुली बोली आमंत्रित करता है, ऑफरदाता प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं–

क्र0सं0	पत्रा0 सं0	ठेके का नाम	जमानत राशि वर्ष 2020–21	जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2020–2021	गत वर्ष स्वीकृत राशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)	न्यूनतम ऑफर धनराशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)
1	2		3	4		5
1	NZ2	ठेका भू–उपयोग परिसर बस स्टैण्ड अम्बाला रोड	2,00,000.00	20 लाख	16,65,000.00	15,00,590.00
2	NZ5	ठेका पार्किंग जनरल पोस्ट आफिस रोड।	2,00,000.00	20 लाख	12,51,000.00	10,14,000.00
3	NZ8	ठेका पार्किंग टैक्सी स्टैण्ड वाली भूमि।	2,00,000.00	05 लाख	18,11,000.00	17,25,590.00

नोट 1– प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी प्रकिया से पूर्व धरोहर राशि अंकन 1,00,000.00 रू0 नकद/डी0डी0 जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बंधक होगी, 02 वर्ष अवधि के अन्दर जारी चरित्र प्रमाण, वर्तमान वर्ष का अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति खुली बोली नीलामी प्रकिया से पूर्व निगम कार्यालय में जमा करनी होगी।

2– ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.in व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3– नीलामी बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4– जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नही करायी गयी है, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर/ब्लैकलिस्टेड घोषित किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नही ले सकेगें।

5– खुली बोली प्रक्रिया दिनांक 11.09.2020 को अपरान्ह 12:00 बजे नगर निगम कार्यालय में आमंत्रित की गयी है।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम, सहारनपुर।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर।

-:वित्तीय वर्ष 2020-21 में ठेकों की खुली नीलामी बोली हेतु निर्धारित शर्तें :-

1-प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व अंकन 1,00,000.00 रू0 की धरोहर राशि की नकद /बैंक ड्राफ्ट के रुप में जमा कर सकते है। बैंक ड्राफ्ट लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक होगी।

2-सर्वोच्च बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं द्वारा नगर निगम कोष में जमा की गयी धरोहर राशि 15 दिन बाद एवं बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि 03 दिन बाद वापिस की जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये खुली नीलामी बोली में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति/फर्म नीलामी में किसी भी दशा में भाग नही ले सकते।

3- सार्वजनिक नीलामी स्वीकृति उपरान्त ठेका की 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जायेगी, अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा, तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि 01 माह के भीतर निगम कोष में जमा करानी होगी।

4-ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। स्टाम्प देयता के लिये ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा।

5-नीलामी के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा नीलामी को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।

6-ठेके के निमित्त भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो ठेकेदार देने के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा। जिन ठेकों पर सेवा कर लागू होगा ठेकेदार ठेके की धनराशि के साथ-साथ देने के लिये बाध्य होगा। ठेके हेतु बोली जी0एस0टी0 सहित होगी।

7-ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल पर ही वसूली करेगा तथा वसूल की जाने वाली शुल्क की रसीदों का प्रारुप नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही रसीद जारी की जायेगी। ऐसा न करने पर उसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

08-यदि ठेका स्थल में नगर निगम/नगर आयुक्त द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो ठेकेदार परिवर्तित स्थल पर ठेके की शर्तों एवं अनुबन्ध के अनुसार ठेका चलाने हेतु आबद्ध रहेगा।

09- ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

10— किसी भी शर्त के उल्लंघन पर ठेकेदार के विरूद्ध जुर्माना करने, जमानत राशि जब्त कर ठेका निरस्त करने अथवा ठेका निरस्त कर भविष्य के लिये ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।

11—यह कि ठेकेदार किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आता है, तो ठेका निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

12— किसी वाद—विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।

13— खुली नीलामी बोली में भाग लेने से पूर्व 02 वर्ष की अवधि के अन्दर जारी चरित्र प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र निगम कार्यालय में जमा करना होगा।

14—ठेकेदार पर बकाया धनराशि होने पर भू—राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

15— वित्तीय वर्ष 2020—2021 हेतु पार्किंग ठेकों में वाहनों से वसूले जाने वाली दरों का विवरण

साईकिल	— 05 रु.
स्कूटर	— 10 रु.
मोटर साईकिल	— 10 रु.
कार/जीप	— 50 रु.
थ्री व्हीलर	— 25 रु.

16— ठेका भू—उपयोग परिसर अम्बाला रोड बस स्टैण्ड का ठेका इस शर्त के अधीन होगा कि बस स्टैण्ड का स्थान परिवर्तित होने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिवर्तित दिनांक तक ठेकेदार से ठेका की धनराशि देय होगी।

16—यह कि उक्त निविदा की शर्ते है, प्रत्येक ठेके का अनुबन्ध अलग—अलग होगा, जिसमें उस ठेके से सम्बन्धित विस्तृत शर्ते अंकित होगी।

सम्पत्ति प्रभारी
नगर निगम सहारनपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।